[डा० काटजू]

मैं यहां यह भी बता दूं कि सरकार सदा ही अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ को इन नये परिवर्तनों की सूचना देती रही है, और उसने इस कठिन समस्या का एक संतोषपूर्ण समाधान ढूंढने के विचार से संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चायें भी की हैं। संघ को यह बताने का प्रत्येक सम्भव प्रयास किया गया है कि इतनी अधिक संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करना क्यों अत्यावश्यक हो गया है ।

पहले तो, यह विचार था कि पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, अर्थात् पिछले मार्च के अन्त तक, फालतू कर्मचारियों की छंटनी की जानी चाहिये। लेकिन, फिर यथासम्भव अधिकाधिक फालतू कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक नियुक्तियों का और अधिक प्रयास करने की दृष्टि से, छंटनी स्थगित कर दी गई थी। छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या को यथासम्भव कम से कम करने के लिये, हाल में नियुक्त किये हुए सम्पर्क अधिकारी को काम देने वाले मंत्रालयों से सम्पर्क स्थापित करने का समय दिया जायेगा। मुझे आशा है कि इसके बीच की यह अवधि काफ़ी अधिक संख्या में फालतू कर्मचारियों के लिये अन्य केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में वैकल्पिक रोजगार ढूंढने में उपयोगी सिद्ध होगा। लेकिन मुझे भय है कि इसके बाद भी जिन कर्मचारियों के लिये काम नहीं ढूंढा जा सकेगा, उनकी छंटनी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्हें फालतू कर्मचारियों की भांति अनिश्चित काल तक सेवायुक्त नहीं रखा जा सकता है। लेकिन उनकी छंटनी के बाद भी, उनके लिये यथाशीघ्र दूसरा काम ढूंढने का प्रयास जारी रहेगा। इस सम्बन्ध में मैं एक बात का स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। यदि कोई भी कर्मचारी, जिसकी वैकल्पिक नियुक्ति की जाती है, उस पद को स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी बिल्कुल छंटनी कर दी जायेगी। स्पष्ट ही है कि सरकार एक ऐसे फालतू कर्मचारी को फालतू समय का वेतन देने के लिये तैयार नहीं हो सकती जिसे कि वैकल्पिक रोजगार दिया जाये और जो उसे स्वीकार न करे ।

अन्त में, मैं यह भी बता दूं कि हम इस समस्या के महत्व को पूरी तौर पर समझते हैं और हमने उन फालतू कर्मचारियों की भरसक सहायता की है जिन्हें कि अब सेवायुक्त नहीं रखा जा सकता है ।

†**श्री नम्बियार** : सरकार ने २१ मई को आरम्भ होने वाली हड़ताल के संघ के हड़ताल नोटिस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**डा० काटजू** : पता नहीं, माननीय सदस्य कोई स्पष्ट प्रश्न पूछें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वक्तव्य पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं ।

सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में भारत सरकार का एक संकल्प लोक-सभा के सामने प्रस्तुत करता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि इस संकल्प की प्रतियां लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा के सदस्यों को उपलब्ध कर दी जायेंगी ।

१. भारत सरकार ने अपने दिनांक ६ अप्रैल, १९४८ के संकल्प में औद्योगिक क्षेत्र में पालन की जाने वाली अपनी नीति को व्यक्त किया था। संकल्प में अर्थ-व्यवस्था के लिये उत्पादन में लगातार वृद्धि किये जाने और उसके समान वितरण के महत्व पर जोर दिया था, और बताया था कि उद्योगों के विकास में राज्य को अधिकाधिक सक्रिय रूप से हाथ बंटाना चाहिये। उसमें निश्चित किया गया था कि शस्त्रास्त्रों तथा युद्धोपकरणों और आण्विक

---

†मूल अंग्रेजी में

ऊर्जा तथा रेलवे परिवहन के साथ-साथ, जो कि केन्द्रीय सरकार के एकाधिकार में रहेंगे, राज्य छः मूल उद्योगों में नये उपक्रमों की स्थापना के लिये स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे—सिवाये उनके जहां कि राज्य स्वयं ही राष्ट्रीय हित को देखते हुए निजी उद्यम का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक समझे। शेष औद्योगिक क्षेत्र को निजी उद्यम के लिये छोड़ दिया गया था, हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस क्षेत्र में भी राज्य उत्तरोत्तर अधिकाधिक रूप से भाग लेता रहेगा।

२. औद्योगिक नीति सम्बन्धी इस घोषणा को अब आठ वर्ष बीत चुके हैं। इन आठ वर्षों में भारत ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास देखे हैं। भारत का संविधान अधिनियमित किया जा चुका है, जिसमें कुछ मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी गई है और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का निरूपण किया गया है। योजना का कार्य एक संगठित रूप से चला है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना हाल ही में पूर्ण हुई है। संसद् ने समाज के समाजवादी ढंग को सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। इन महत्वपूर्ण विकासों के कारण औद्योगिक नीति को एक बार फिर से बनाना आवश्यक हो जाता है। यह विशेष तौर पर इसलिये भी आवश्यक हो जाता है कि देश के सामने शीघ्र ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की जायेगी। इस नीति को संविधान में निरूपित सिद्धान्तों, समाजवाद के उद्देश्य, और इन वर्षों में प्राप्त अनुभव द्वारा ही शासित होना चाहिये।

३. भारत के संविधान की प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि उसका उद्देश्य उसके समस्त नागरिकों को—

"सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म, और उपासना की **स्वतन्त्रता**;

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिये, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली **बन्धुता**"

प्राप्त कराना है।

राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में यह कहा गया है कि—

"राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य साधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।"

उससे भी आगे—

"(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी केन्द्रण न हो;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो;

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

(ङ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;

(च) शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो।"

४. दिसम्बर, १९५४ में जब संसद् ने समाज के समाजवादी ढंग को अपनी सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया, तब इन मूल और सामान्य तत्वों को एक और भी निश्चित दिशा दी गई। इसीलिये, औद्योगिक नीति भी, अन्य नीतियों की भांति, इन्हीं तत्वों और निदेशों द्वारा शासित होनी चाहिये।

५. इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये, आर्थिक प्रगति की गति को बढ़ाना और औद्योगीकरण को अधिक तेज करना, और विशेष रूप से भारी उद्योगों और मशीन बनाने वाले उद्योगों का विकास करना सार्वजनिक क्षेत्र को विस्तृत करना, और एक विशाल तथा विकासोन्मुख सहकारी क्षेत्र को बनाना आवश्यक है। ये सभी लाभदायक रोजगार के अवसर बढ़ाने और सर्वसाधारण के रहन-सहन के स्तरों तथा काम करने की दशाओं में सुधार करने के लिये एक आर्थिक नीव की व्यवस्था करते हैं। ठीक इतनी ही अविलम्बनीय बात यह है कि आय और सम्पदा की वर्तमान असमानताओं को कम किया जाये, निजी एकाधिकरणों और विभिन्न क्षेत्रों में कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोका जाये। इसी के अनुसार, राज्य नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिये और परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के लिये क्रमशः अधिकाधिक अभिभावी और प्रत्यक्ष दायित्व ग्रहण करता जायेगा। वह एक बढ़ते हुए पैमाने पर राज्य व्यापार को भी आरम्भ करेगा। साथ ही साथ, देश की विस्तृत होती हुई अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में, आयोजित राष्ट्रीय विकास के एक अभिकरण के रूप में, निजी क्षेत्र को विकास और विस्तार करने का अवसर प्राप्त होगा। जहां भी सम्भव हो वहां सहकारिता के सिद्धान्त को लागू करना चाहिये और निजी क्षेत्र की कार्यवाहियों के निरन्तर क्रमशः अधिकाधिक होते हुए अनुपात के अनुसार सहकारी ढंग पर विकसित किया जाना चाहिये।

६. राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में समाज के समाजवादी ढंग का अपनाया जाना, और साथ ही एक आयोजित और वेगशील विकास की आवश्यकता के फलस्वरूप यह आवश्यक हो जाता है कि मूल और सामरिक महत्व के सभी उद्योग, या जनोपयोगी प्रकार की सभी सेवायें सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहें। अन्य उद्योग भी, जो कि अत्यावश्यक हैं और जिनमें एक ऐसे पैमाने पर विनियोजन किये जाने की आवश्यकता है जो वर्तमान समय में केवल राज्य ही कर सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहेंगे। इसीलिये राज्य को एक अधिक विस्तृत क्षेत्र के उद्योगों के भावी विकास का प्रत्यक्ष दायित्व ग्रहण करना है। फिर भी, सीमित करने वाले कुछ कारण भी हैं जिनके कारण इस अवस्था में यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य अपने उस क्षेत्र का निरूपण कर दे जिसके भावी विकास का पूर्ण दायित्व वह सम्भालेगा, और वह उन उद्योगों को भी चुने जिनके विकास के लिये वह प्रभावशाली कार्यवाही करेगा। भारत सरकार ने इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने और योजना आयोग से परामर्श करने के बाद, यह निर्णय किया है कि उन में से प्रत्येक में राज्य के भाग को देखते हुए उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाये। यह तो अवश्यम्भावी है कि कुछ सीमा तक ये

वर्ग एक-दूसरे में मिले जुले भी रहेंगे और उनके सम्बन्ध में एक अधिक कठोरता से कार्य करने से स्वयं उद्देश्य के ही नष्ट हो जाने की सम्भावना हो सकती है। लेकिन मूल सिद्धान्तों और उद्देश्यों को सदा ही ध्यान में रखना और ऊपर बताये हुए सामान्य निदेशों का पालन करना आवश्यक है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि राज्य कभी भी किसी भी प्रकार के औद्योगिक उत्पादन को आरम्भ कर सकता है।

७. प्रथम वर्ग में वे उद्योग रहेंगे जिनके भावी विकास का पूर्ण दायित्व राज्य पर ही रहेगा। दूसरे वर्ग में ऐसे उद्योग रहेंगे जो क्रमशः अधिकाधिक रूप में राज्य के स्वामित्व में आते जायेंगे, और इसीलिये जिनमें सामान्य तौर पर नये उपक्रमों की स्थापना करने में उपक्रमण राज्य द्वारा ही किया जायेगा, लेकिन जिनमें निजी उद्यम से भी राज्य के प्रयासों की सहायता करने की आशा की जायेगी। तीसरे वर्ग में शेष सभी उद्योग रहेंगे और सामान्य रूप में उनके भावी विकास को निजी क्षेत्र के उपक्रमण और उद्यम पर ही छोड़ दिया जायेगा।

८. प्रथम वर्ग के उद्योग इस संकल्प की अनुसूची **'क'** में गिनाये गये हैं। इन उद्योगों में सभी नई इकाइयां केवल राज्य द्वारा स्थापित की जायेंगी, सिवाय उन इकाइयों के जिनकी कि निजी क्षेत्र में स्थापना की अनुमति दी जा चुकी है। इससे निजी-स्वामित्व की वर्तमान इकाइयों के बिस्तार की सम्भावना समाप्त नहीं हो जाती है और न ही राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होने पर नई इकाइयों की स्थापना के लिये राज्य द्वारा निजी उद्यम का सहयोग प्राप्त करने की सम्भावना का अन्त होता है फिर भी, रेलवेज़ और वायु परिवहन, शस्त्रास्त्रों और युद्धापकरणों और आण्विक ऊर्जा को केन्द्रीय सरकार के एकाधिकारों के रूप में विकसित किया जायेगा। जहां भी निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करना आवश्यक है, वहां राज्य या तो पूंजी में अधिक अंशदान के द्वारा, या किसी अन्य प्रकार से, यह सुनिश्चित करेगा, कि उसके पास नीति का पथ-प्रदर्शन करने और उपक्रमों के कार्य-संचालन का नियंत्रण करने की आवश्यक शक्तियां रहें।

९. दूसरे वर्ग के उद्योग वह होंगे जो अनुसूची **'ख'** में दिये दिये गये हैं। उनके भावी विकास की गति तेज़ करने के लिये राज्य इन उद्योगों में भी अधिकाधिक तौर पर नये उपक्रमों की स्थापना करेगा। साथ ही, इस क्षेत्र में निजी उद्यम को भी, या तो अपने ही बूते पर या राज्य के साथ हाथ बंटाकर, विकास करने का अवसर रहेगा।

१०. शेष सभी उद्योग तीसरे वर्ग में रहेंगे, और यह आशा है कि उनका विकास निजी क्षेत्र के उपक्रमण और उद्यम के बल पर किया जायेगा, हालांकि राज्य को भी इस वर्ग में जब भी वह चाहे कोई उद्योग आरम्भ करने का अधिकार रहेगा। राज्य की नीति, बाद की पंच-वर्षीय योजनाओं में सूत्रित कार्य-क्रमों के अनुसार परिवहन विद्युत् और अन्य सेवाओं के विकास को उपयुक्त राजकोषीय तथा अन्य उपायों द्वारा सुनिश्चित करके निजी क्षेत्र में इन उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाने और उन्हें प्रोत्साहन देने को रहेगी। राज्य इन उद्योगों के लिये वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं को बढ़ावा देती रहेगी, और औद्योगिक और कृषि कार्यों के लिये सहकारी ढंग पर संगठित उद्यमों को विशेष सहायता दी जायेगी। उपयुक्त मामलों में, राज्य निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता भी दे सकता है। ऐसी सहायता, विशेषकर उन मामलों में जिनमें कि राशि काफी अधिक हो, प्रायः बराबर की पूंजी लगाने के रूप में होगी, हालांकि वह ऋण-पत्र पूंजी के रूप में भी हो सकती है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

११. निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को राज्य की सामाजिक और आर्थिक नीति के अनुकूल होना आवश्यक है। वे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों की शर्तों के नियंत्रण तथा विनियमन के अधीन रहेंगे। फिर भी, भारत सरकार यह मानती है कि सामान्यतः इन उपक्रमों को, राष्ट्रीय योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुकूल, यथासम्भव अधिकाधिक स्वतन्त्रता के साथ विकसित होने देना ही वांछनीय होगा। जिस भी किसी उद्योग में निजी और सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के स्वामित्व वाली इकाइयां हों, राज्य की नीति दोनों ही के साथ उचित और अविभेदपूर्ण बर्ताव करने की रहेगी।

१२. उद्योगों को विभिन्न श्रेणियों में बांटने का अर्थ यह नहीं है कि उनका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहेगा। न केवल अतिछादित ही रहेगी अपितु सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में उद्योगों का अधिकाधिक मिश्रण भी होता रहेगा। आयोजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए या अन्य महत्वपूर्ण कारणों के उत्पन्न होने पर राज्य कोई भी ऐसा उद्योग शुरू कर सकता है जो कि अनुसूची 'क' या अनुसूची 'ख' में सम्मिलित नहीं किये गये हैं। उपयुक्त मामलों में, निजी कारखानों को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये या उपोत्पाद के रूप में अनुसूची 'क' में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति दी जा सकती है, छोटे निजी कारखानों के लिये ऐसे उपक्रमों जैसे विहार-नौकायें और अन्य हल्की नौकायें बनाने, स्थानीय आवश्यकताओं के लिये बिजली पैदा करने और छोटे पैमाने पर खानों की खुदाई करने, के सम्बन्ध में साधारणतया कोई रोक नहीं होगी। सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग हल्के पुर्जे सम्बन्धी अपनी आवश्यकतायें गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त कर सकते हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र भी अपनी कतिपय आवश्यकता पूरी करने के लिये सरकारी क्षेत्र पर निर्भर करेगा। बड़े पैमाने के और छोटे पैमाने के और उद्योगों के परस्पर सम्बन्धों के विषय में भी यही सिद्धान्त और भी अधिक तीव्रता से लागू होगा।

१३. भारत सरकार इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये कुटीर उद्योगों और ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योगों के महत्व पर जोर देगी। उन समस्याओं के सम्बन्ध में, जिन को हल करना अत्यावश्यक है, इन के कुछ स्पष्ट लाभ हैं। इन से तुरन्त ही बड़े पैमाने पर काम मिलता है, राष्ट्रीय आय के उचित वितरण की व्यवस्था का सुनिश्चय होता है और पूंजी और दक्षता के संसाधनों को, जो अन्यथा अप्रयुक्त रह जाते, प्रभावोत्पादक प्रकार से काम में लाये जाने की सुविधा प्राप्त होती है। देश भर में औद्योगिक उत्पादन के छोटे-छोटे केन्द्र स्थापित करने से, हम उन समस्याओं से बच जायेंगे जो बिना योजना के नगरीकरण से उत्पन्न होती है।

१४ बड़े पैमाने के क्षेत्र में उत्पादन को सीमित करके, विभेदकारी करारोपण के द्वारा या प्रत्यक्ष अनुसहाय्यों द्वारा राज्य सरकार कुटीर उद्योगों, ग्राम उद्योगों, और छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति का अनुसरण करती रही है। यद्यपि ऐसे आवश्यक उपाय किये जाते रहेंगे, तथापि जब भी आवश्यक होगा, राज्य नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चय करना होगा कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र आत्म-निर्भरता के लिये पर्याप्त शक्ति सम्पन्न हो और उसका विकास बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ-साथ किया जा सके। अतः राज्य उन उपायों पर अधिक बल देगा जिन से कि छोटे पैमाने का उत्पादक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के योग्य हो सके। इस के लिये यह आवश्यक है कि उत्पादन के तरीकों में निरन्तर सुधार किया जाये और उन्हें आधुनिक

बनाया जाये, और परिवर्तन की गति पर इस प्रकार नियन्त्रण रखा जाये कि उससे प्रौद्योगिकीय बेकारी यथासम्भव कम से कम हो। टेकनिकल और वित्तीय सहायता की कम, काम के लिये उपयुक्त स्थान का अभाव और मरम्मत तथा संधारण आदि की सुविधाओं की अपर्याप्तता छोटे पैमाने के उत्पादकों की मुख्य कठिनाइयां हैं। इन कमियों को पूरा करने के लिये औद्योगिक सम्पदाओं और ग्रामीण सामुदायिक कर्मशालाओं की स्थापना करके कार्य का श्रीगणेश कर दिया गया है। ग्रामों में बिजली लगाने के कार्य का विस्तार करके और श्रमिकों के लिये उतने दामों पर जितने कि वह दे सके, बिजली देने से भी काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। औद्योगिक सहकारी संस्थाएं बनाने से भी छोटे पैमाने के उत्पादन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी सहकारी संस्थाओं को हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और राज्य को कुटीर उद्योगों, ग्राम उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास की ओर निरन्तर ध्यान देना चाहिये।

१५. औद्योगिकरण से समूचे देश की अर्थ-व्यवस्था को लाभ पहुँचे, इस बात के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रदेशों के विकास-स्तर के अन्तर को क्रमशः कम किया जाये। देश के भिन्न-भिन्न भागों में उद्योगों का न होना कभी-कभी आवश्यक कच्चे माल की या अन्य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होता है। कुछ क्षेत्रों में बहुत से उद्योगों का केन्द्रीयकरण भी वहां बिजली, पानी और परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं के, जो वहां विकसित हो गई हैं, सहज रूप से उपलब्ध होने के कारण हो जाता है। राष्ट्रीय आयोजन का एक उद्देश्य यह सुनिश्चय करना भी है कि यह सुविधायें उत्तरोत्तर रूप से उन क्षेत्रों में भी उपलब्ध हों जो इस समय औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं या जहां रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाने की अधिकाधिक आवश्यकता है, परन्तु शर्त यही है कि वह स्थान अन्यथा उपयुक्त हों। प्रत्येक प्रदेश में औद्योगिक, और कृषि अर्थ-व्यवस्था का संतुलित और समायोजित विकास करके ही सारे देश में उच्चतर जीवन स्तर को प्राप्त किया जा सकता है।

१६. औद्योगिक विकास का यह कार्यक्रम देश में टेकनिकल और प्रबन्धकीय कर्मचारियों की अधिकाधिक मांग करेगा। सरकारी क्षेत्र के विस्तार की तेज़ी से बढ़ती मांगों और ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकारी सेवाओं में उचित प्रबन्धकीय और टेकनिकल पदालियां स्थापित की जा रही हैं। पर्यवेक्षण स्तरों पर कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिये, सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी उपक्रमों में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देने की शिशिक्षु योजनाओं को आयोजित करने के लिये और विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में व्यापारिक प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

१७. यह आवश्यक है कि उद्योगों में काम करने वालों को उचित सुविधायें और प्रेरणा दी जाये। श्रमिकों के जीवन और काम करने की स्थिति में सुधार किया जाये और उनकी कार्य-क्षमता का स्तर ऊंचा उठाया जाये। औद्योगिक प्रगति के लिये औद्योगिक शांति बनाये रखना अत्यावश्यक है। एक समाजवादी लोकतंत्र में श्रमिक विकास के सांझे काम में भागीदार होते हैं और उन्हें इस में उत्साह से भाग लेना चाहिये। औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में कुछ विधियां बनाई गई हैं और प्रबन्धकों और श्रमिकों दोनों के द्वारा अपने दायित्वों का अधिकाधिक अनुभव किये जाने से एक विशाल साझा दृष्टिकोण विकसित हुआ है। संयुक्त रूप से परामर्श किया जाना चाहिये, और जहां भी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सम्भव हो, वहां श्रमिकों और प्रविधिविज्ञों को प्रबन्ध के काम से उत्तरोत्तर सम्बद्ध किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उदाहरण स्थापित करना चाहिये ।

१८. उद्योग और व्यापार में राज्य द्वारा उत्तरोत्तर अधिकाधिक भाग लिये जाने के कारण जिस प्रकार से इन गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिये वह अधिकाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इन उपक्रमों को सफल बनाने के लिये शीघ्र निर्णय करना और उत्तरदायित्व संभालने के लिये तैयार रहना आवश्यक है। इस के लिये, जहां भी संभव हो, प्राधिकार का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये और उन का प्रबन्ध व्यापारिक ढंग से होना चाहिये। यह आशा की जा सकती है कि सरकारी उपक्रम राज्य के राजस्व को बढ़ायेंगे और नये क्षेत्रों में अग्रेतर विकास के लिये संसाधन उपलब्ध करायेंगे। किन्तु ऐसे उपक्रमों में कभी-कभी हानि भी हो सकती है। सरकारी उपक्रमों की सफलता का अनुमान उन के समस्त परिणामों से लगाया जाना चाहिये, और उन्हें अपने कार्यकरण के सम्बन्ध में यथासंभव अधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये।

१९. १९४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में बहुत से ऐसे अन्य विषयों की चर्चा भी की गई थी, जिन के बारे में उसके पश्चात् उपयुक्त विधान बना दिये गये हैं या नीति सम्बन्धी प्राधिकृत वक्तव्य दिये जा चुके हैं। उद्योगों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का जो अलग-अलग उत्तरदायित्व है, उसे उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियमन में निश्चित कर दिया गया है। प्रधान मंत्री ने संसद् में अपने ६ अप्रैल, १९४९ के वक्तव्य में विदेशी पूंजी के बारे में राज्य की नीति का स्पष्टीकरण किया है। इस लिये इस संकल्प में उन विषयों की चर्चा करना आवश्यक नहीं है।

२०. भारत सरकार विश्वास करती है कि औद्योगिक नीति के इस पुनः स्पष्टीकरण का सभी के द्वारा समथन किया जायेगा और इससे देश के तुरन्त औद्योगिकरण को सहायता मिलेगी।

अनुसूची 'क'

१. शस्त्रास्त्र तथा युद्धोपकरण तथा सम्बद्ध प्रतिरक्षा उपकरण।

२. अणुशक्ति ।

३. लोहा और इस्पात।

४. लोहे और इस्पात के भारी सांचे तथा ढली हुई वस्तुयें।

५. लोहा और इस्पात के उत्पादन, खनन, मशीनी औज़ोरों के निर्माण और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल उद्योगों के लिये अपेक्षित भारी संयंत्र तथा मशीनरी।

६. विशाल, द्रव-चालित तथा वाष्प चालित टरबाहनों समेत भारी विद्युत् संयंत्र।

७. कोयला और लिग्नाइट।

८. खनिज तेल ।

९. लौह प्रस्तर, मैंगनीज़ प्रस्तर, क्रोम प्रस्तर, खड़िया मिट्टी, गन्धक स्वर्ण और हीरे का खनन।

१०. तांबा, सीसा, दस्ता, टीन, मौलिबडेनम और वुलफाम का खनन और परिष्करण।

११. अणु शक्ति (उत्पादन तथा प्रयोग का नियंत्रण) आदेश, १९५३ में उल्लिखित खनिज पदार्थ ।

१२. वायुयान।

१३. वायु परिवहन ।

१४. रेल परिवहन ।

१५. पोत निर्माण ।

१६. टेलीफ़ोन यंत्र तथा टेलीफ़ोन केबुल, टेलीग्राफ़ तथा बेतार यंत्र (रेडियो प्रायक सैटों के अतिरिक्त) ।

१७. विद्युत्शक्ति का जनन तथा वितरण ।

अनुसूची 'ख'

१. खनिज रियायत नियमों, १९४९ को धारा ३ में परिभाषित "सामान्य खनिज वस्तुओं के" अतिरिक्त अन्य सभी खनिज पदार्थ ।

२. एल्यूमीनियम तथा अनुसूची 'क' में सम्मिलित न की गई अन्य अलौह धातुयें ।

३. मशीनी औज़ार ।

४. लौह युक्त वर्णसंकर धातुयें तथा औज़ारों के बनाने में काम में आने वाला इस्पात ।

५. रासायनिक उद्योगों द्वारा अपेक्षित मूल तथा माध्यमिक उत्पादों जैसे औषधियों, रंगों और प्लास्टिक का बनाना ।

६. एन्टी-बायोटिक्स तथा अन्य सारवान औषधियां ।

७. उर्वरक ।

८. संश्लेषित रबड़ ।

९. कोयले का कार्बनीकरण ।

१०. रासायनिक लुग्दी ।

११. सड़क परिवहन ।

१२. समुद्र परिवहन ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : क्योंकि शीघ्र ही योजना के सम्बन्ध में चर्चा होने को है और यह नीति सम्बन्धी वक्तव्य उसमें मुख्य रूप से निर्णायक रहेगा इसलिये क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि इसे परिचालित कर दिया जाये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जैसा कि मैंने अभी कहा है, जो संकल्प मैंने अभी पढ़ा है, उसकी प्रतियां सदस्यों को तुरन्त मिल सकती हैं । १९४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प और १९४९ के विदेशी पूंजी सम्बन्धी वक्तव्य की प्रतियां लोक-सभा सचिवालय उपलब्ध करा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन वक्तव्यों की प्रतियां बैठक समाप्त होने से पहले ही उपलब्ध करा दी जायेंगी ।

सभा का कार्य

आधे घण्टे की चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेगा ।

†**श्री बंसल** (झज्जर–रिवाड़ी) : मेरा निवेदन है कि चूंकि इस चर्चा का विषय बहुत महत्व-पूर्ण है और इसका सम्बन्ध सीमेंट के उत्पादन, वितरण और मूल्यों से है, इस लिये इसके लिये कुछ और अधिक समय दिया जाये । मेरा दूसरा सुझाव यही है कि इसमें चर्चा प्रारम्भ करने वाले सदस्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जाये, ताकि मंत्री महोदय वाद-विवाद के अन्त में उत्तर दे सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में